



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-03032026-270645  
CG-KA-E-03032026-270645

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1066]  
No. 1066]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 2 मार्च, 2026

का.आ. 1118(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 24 ऑफ 1989) की धारा 2 के खंड 37 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परियोजना को "विशेष रेल परियोजना" के रूप में कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय इनफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने हेतु आधिकारिक राजपत्र में एतद्वारा अधिसूचित करती है। इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

तालिका

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	व्हाइटफील्ड और बंगारपेट स्टेशनों के बीच चौथा लाइन निर्माण (47 कि.मी)

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/बें छा/2025-26/भूमि वि रे प/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर-III/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[South Western Railway (Construction Organisation)]**

**NOTIFICATION**

Bengaluru, the 2nd March, 2026

**S.O. 1118(E).**—In exercise of the powers conferred by clause 37(A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Act no. 24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby notifies the project, as “Special Railway Project” mentioned in the table below, in the State of Karnataka for providing National Infrastructure for a Public Purpose with effect from date of publication of the notification in the Official Gazette.

**TABLE**

Sl. No.	Name of the Project
1.	Quadrupling of Track between Whitefield - Bangarpet Station (47 Km)

[F. No. W. 271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction